HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Jabalpur, dated ¼./06/2025

Copy of the Notification(s) of the Government of M.P. F.No. 2567/21-B(1)/2025 & 2563/21-B(1)/2025 dated 13.06.2025, in respect of appointment of Special Judge(s) u/s 22(1) of the NIA Act, 2008 at Burhanpur and Seoni is forwarded to;

- 1. The Principal Secretary, Government of M.P., Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal for information and necessary action;
- 2. P.S. to the Registrar General, Principal Registrar (Judicial), Principal Registrar (Vigilance) and Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
- 3. The Principal District and Sessions Judges, Burhanpur and Seoni for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
- 4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of M.P., Jabalpur for information;
- 6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy for information;
- 7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 8. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
- 9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information;

MUKESH RAWAT REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13/06/2025

फा.क्रमांक 2567 / 21—ब(एक) / 2025,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476—2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग—एक, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है. अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 48 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:—

सारणी

अनु. क्रं.	जिले का नाम	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम					
(1)	(2)	(3)					
" 48 .	बुरहानपुर	श्री निलेश कुमार जिरेती, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर।					

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No.2567/21(B-I)/2025,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 48 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

TABLE

Sr. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge							
(1)	(2)	(3)							
"48 .	Burhanpur			Kumar ge, Burha		IInd	District	and	Additional

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र0 2567 / 21—ब(एक) / 2025, प्रतिलिपि:— भोपाल, दिनांक 13/06/2025

- रिजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर उनके ज्ञापन क्र. C/3451/III-6-4/10 दिनांक 07.05.2025, के संदर्भ में,
 - 2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
- 3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
- 4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर मध्यप्रदेश,
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 7. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित 🆯

(अनिल कुमार पाठक) सचिव,

श्र मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13/06/2025

फा.क्रमांक 2563 / 21—ब(एक) / 2025,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476—2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग—एक, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:—

सारणी

अनु. क्रं.	जिले का नाम	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम			
(1)	(2)	(3)			
"34	सिवनी	श्री बलबीर सिंह धाकड़, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिवनी।"।			

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No.2563/21(B-I)/2025,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

TABLE

Sr. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge					
(1)	(2)	(3)					
" 34.	Seoni	Shri Balbir Singh Dhakad, III rd District and Additional Sessions Judge, Seoni.".					

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

्री (नरेन्द्र प्रताप सिंह) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र० 2563 / 21—ब(एक) / 2025, प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 13/06/2025

रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर उनके ज्ञापन क्र. C/3173/III-6-4/10 दिनांक 29.04.2025, के संदर्भ में,

- 2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
- संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
- 4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी मध्यप्रदेश,
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

> ्र अनिल कुमार पाठक) सचिव

९ मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग